

राजस्व आयुक्त सुनील भाटी, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय)
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 230 / 2009

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. रामप्रकाश पुत्र चौथूराम, जाति-ब्राह्मण, निवासी-सुन्दर नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
2. कैलाश चन्द पुत्र प्रभुलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-सुन्दर नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
3. मुकेश कुमार पुत्र प्रभुलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-सुन्दर नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
4. अनिल कुमार पुत्र कन्हैयालाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-सुन्दर नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
5. मनीष कुमार पुत्र कन्हैयालाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-सुन्दर नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
6. सुनील कुमार पुत्र सुन्दरलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-सुन्दर नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
7. हरीश कुमार पुत्र सुन्दरलाल, जाति-ब्राह्मण, निवासी-सुन्दर नगर, अजमेर रोड, जयपुर (मृतक अविवाहिता)।
- 7/1 सुन्दरलाल पुत्र चौथूराम (पिता) जाति-ब्राह्मण, निवासी-बुनकर भवन, सिविल लाईन्स, मदरामपुरा, जयपुर।
- 7/2 शान्ति देवी पत्नी सुन्दरलाल (माता) जाति-ब्राह्मण, निवासी-बुनकर भवन, सिविल लाईन्स, मदरामपुरा, जयपुर।
8. मैसर्स भादरा एन्टरप्राइजेज प्रा०लि० रजिस्टर्ड ऑफिस डी 23-24 कालवाड रोड रामगोपाल बाडी, जयपुर जरिये डायरेक्टर ललित भादरा पुत्र जीवणराम भारत।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-
राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान
काश्तकारी काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपरिस्थिति:-



श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।

2. अप्रार्थीगण असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

सत्य - प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय)

जयपुर

राजकीय / न्यायालय के अधिकारी
अभिभाषक श्री विजय चाहर प्रतिलिपि

श्रीलालदार, सांगानेर द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 में ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 65 बीधा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकिन नला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 65 बीधा 12 बिस्वा में से 1 बीधा बालूराम पुत्र श्री बिरमा, जाति-जाट के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-166 बालूराम पुत्र श्री बिरमा के नाम गैर-खातेदारी दर्ज होकर नामान्तरकरण सं०-295 दिनांक 25.11.1978 द्वारा बालूराम के नाम खातेदारी दर्ज की गई हैं। इसके पश्चात् वसीयत के नामान्तरकरण के फलस्वरूप मधाराम पुत्र नारायण जाट व वर्तमान में हाल खसरा नम्बर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 1620 रकबा 0.09 है०, 1619/2827 रकबा 0.06 है०, 1482 रकबा 0.09 है० दर्ज होकर खातेदारी में इन्द्राज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2015-2034 में दर्ज गैर-मुमकीन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिना लगानी गैर-मुमकीन नला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 में ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 65 बीधा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकिन नला दर्ज है, जिसमें से 1 बीधा बालूराम पुत्र श्री बिरमा जाति-जाट के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-166 बालूराम के नाम गैर-खातेदारी दर्ज होकर जरिये नामान्तरकरण सं०-295 खातेदारी दर्ज हुई हैं, खातेदार की वसीयत के फलस्वरूप अप्रार्थीगण नामान्तरकरण सं०-406 मधाराम पुत्र नारायण, जाति-जाट के नाम दर्ज हैं।

इसके पश्चात् भू-प्रबन्ध होने पर वर्तमान में खसरा नम्बर 1620 रकबा 0.09 है०, 1619/2827 रकबा 0.06 है०, 1482 रकबा 0.09 है० दर्ज राजस्व अंशिलेख हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2015-2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी



(Signature)

सत्य-प्रतिलिपि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 88 व
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से
अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित
याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों
को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0न0 708
रकबा 65 बीधा 12 बिस्वा में से 1 बीधा वाके ग्राम भांकरोटा बालूराम पुत्र
बिरमा को आवंटन किया गया है। जिसका उल्लेख नामान्तरकरण सं0-166
के कॉलम सं0-14 पर हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई
है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत्
2015-2034 में यह आराजी गैर-मुमकिन नला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु
वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर
खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे। आवंटन दिनांक 07.06.1972 को
राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम
4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों
को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस
प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकिन नला की
आराजी को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से
अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व
अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं
आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों
को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने
के संबंध में समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा
सकता है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर ग्राम भांकरोटा की
आराजी खसरा नम्बर 708 रकबा 65 बीधा 12 बिस्वा में से आवंटित की गई
1 बीधा आराजी जिसके हाल खसरा नम्बर 1620 रकबा 0.09 है0, 1619/
2827 रकबा 0.06 है0, 1482 रकबा 0.09 है0 हैं, को वापिस सिवायचक बिना
लगानी गैर-मुमकिन नला दर्ज किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल
राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर
व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी
बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा

सत्य - प्रतिलिपि

केन्द्रीय न्यायालय के
द्वारा नियुक्त सत्य प्रतिलिपि

रकबा 65 बीधा 12 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन
गैर-मुमकिन नला दर्ज है, इसके पश्चात् आराजी ख0नं0 708 रकबा 65 बीधा
12 बिस्वा दर्ज होकर 1 बीधा बालूराम पुत्र श्री बिरमा जाति-जाट के हक में
आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-166 बालूराम के नाम गैर
खातेदारी व नामान्तरकरण सं0 295 द्वारा खातेदारी दिये जाने के फलस्वरूप
अप्रार्थी बालूराम की खातेदारी में और खातेदार की वसीयत के फलस्वरूप
मधाराम पुत्र नारायण, जाति-जाट के नाम तथा भू-प्रबन्ध होने के पश्चात्
आवंटित खसरे के नये नम्बर 1620 रकबा 0.09 है0, 1619/ 2827 रकबा 0.
06 है0, 1482 रकबा 0.09 है0 दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्बत् 2015-2034 में दर्ज
गैर-मुमकिन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,
1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित
याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय
राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी
खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वरवक्त बहस विद्वान्
राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन तिथि को राजस्व
अभिलेख में गैर-मुमकिन नला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि
पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्बत् 2015-2034 से होती है और इस
आराजी का आवंटन बालूराम पुत्र बिरमा, जाति-जाट को किया गया है, की
पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0-166 ग्राम-भांकरोटा से
होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी में निजी खातेदारी दर्ज है।
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिना लगानी
सिवायचक गैर-मुमकीन नला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नहीं दी
जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकीन नला भूमि
का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ
से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण में एवं
इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही
अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर-मुमकिन नला भूमि का आवंटन
/नियमन/खातेदारी नहीं दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत
खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा
के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और



[Handwritten signature]

सत्य - प्रतिलिपि

12

राजकीय न्यायालय के उपकोष
सत्य-प्रतिलिपि

इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ है तो यह प्रभाव शून्य है। शून्य आधारित आदेश के विरुद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, सांगानेर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 आराजी ख0न0 708 रकबा 65 बीधा 12 बिस्वा में से 1 बीधा की गई आवंटित भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 1620 रकबा 0.09 है0, 1619/ 2827 रकबा 0.06 है0, 1482 रकबा 0.09 है0 निजी खातेदारी में दर्ज हैं, को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटन के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस बिना लगानी सिवायचक गैर-मुमकीन नला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 23.01.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.10.2017 को सुनाया गया।



सत्य-प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर